

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत है ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर कॉलम संख्या 06 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। उक्त कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50(1) के प्रावधानानुसार 45 वर्ष की आयु एवं 15 वर्ष की सेवा दोनो ही शर्तें पूर्ण करते है।

अतः निम्नांकित कार्मिको को राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50(1) के अन्तर्गत कॉलम सं0 06 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

| क.सं | नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राउमावि/राबाउमावि) | व्याख्याता विषय | जन्मतिथि | राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि | स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति तिथि |
|------|--|-----------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री सीताराम स्वामी, राज0रामचन्द्र नेवटिया उमावि फतेहपुर शेखावाटी-सीकर | वाणिज्य | 04-08-1958 | 14-10-1980 | 30-09-2017 |

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिल्ले)

आईएएस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमांक - शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31854/स्वैच्छिकसेवानिवृत्ति/2017

दिनांक:-27/9/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) संबंधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) संबंधित संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैत प्रमाण पत्र जारी करें।
- (6) संबंधित प्राध्यापक।
- (7) सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- (8) रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)